संख्या-6 /2018/711/44-1-2018-77/2009

प्रेषक,

डा0 पी0वी0 जगनमोहन
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त सार्वजनिक उपक्रम/ निगम के प्रशासनिक विभागों
के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव।

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 10 अक्टूबर, 2018

विषयः- वेतन समिति, 2016 के सातवें प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार सार्वजनिक उपक्रमों/ निगमों के विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों को अनुमन्य नगर प्रतिकर भत्ता की दरों में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-1105/44-1-2009-77/ 2009, दिनांक 16 अक्टूबर, 2009 एवं शासनादेश संख्या-1/2017/1415/44-1-2016-53/2016, दिनांक 03 जनवरी, 2017 तथा वित्त (सामान्य) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या- 04/2018/जी-1-103/दस-2018-227-2008, दिनांक 18 जुलाई, 2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति, 2016 के सातवें प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों को सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या- 1/2017/1415/44-1-2016-53/2016, दिनांक 03 जनवरी, 2017 में दी हुयी शर्तों एवं प्रतिबन्धों की पूर्ति सुनिश्चित करने के उपरान्त निम्नलिखित तालिका के अनुसार पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में अनुमन्य मैट्रिक्स लेवल के आधार पर उनके सम्मुख उल्लिखित दरों पर नगर प्रतिकर भत्ता अनुमन्य कराये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

मैट्रिक्स लेवल	**नगर प्रतिकर भत्ते की दरें (रूपया)**			
	कानपुर, लखनऊ, नोएडा तथा ग्रेटर नोएडा क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र)	**वाराणसी, मेरठ, आगरा तथा इलाहाबाद (नगरीय क्षेत्र)**	**बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुरादाबाद तथा अलीगढ़ (नगरीय क्षेत्र)**	**शेष जिला मुख्यालय तथा अन्य नगर जिनकी आबादी एक लाख या उससे अधिक है (नगरीय क्षेत्र)**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
1	340	240	160	100
2 से 5 तक	480	360	240	160
6 से 8 तक	720	540	360	240
9 एवं इससे ऊपर के लेवल	900	720	600	400

2- पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में मैट्रिक्स लेवल का तात्पर्य पूर्व वेतन बैण्ड/वेतनमान में अनुमन्य ग्रेड वेतन/वेतनमान के सादृश्य मैट्रिक्स लेवल से है।

3- ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों, जो उत्तर प्रदेश के बाहर नियुक्त हैं, को नगर प्रतिकर भत्ता लखनऊ नगर में अनुमन्य नगर प्रतिकर भत्ते के समान होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के ऐसे कर्मचारियों जिनके द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना चुनने का विकल्प दिया गया हो अथवा मान लिया गया हो अथवा दिनांक 01 जनवरी, 2016 के पश्चात् सेवा में नियुक्त हुये हों, के नगर प्रतिकर भत्ता के संबंध में पूर्व में निर्गत आदेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

5- यह आदेश दिनांक 01 जुलाई, 2018 से लागू होंगे।

6- नगर प्रतिकर भत्ता की दरों में संशोधन के फलस्वरूप आने वाले अतिरिक्त व्यय भार संबंधित उपक्रम/निगम द्वारा वहन किया जायेगा तथा राज्य सरकार द्वारा इस हेतु कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी।

7- अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् प्रभावी रहेंगे।

8- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-वे0आ0-2- 610(1) /दस-2018, दिनांक 24 सितम्बर, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 पी0वी0 जगनमोहन)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-6/2018/ 711 (1)/44-1-2018-77/2009, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) द्वितीय, उ0प्र0, लखनऊ।
2- महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- निदेशक, सूचना एवं विशेष कार्याधिकारी, सूचना, मुख्यमंत्री, उ0प्र0, लखनऊ।
4- वित्त (वेतन-आयोग) अनुभाग-1/2 (03 प्रतियों में)
5- गोपन अनुभाग-1
6- सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1/2/आडिट प्रकोष्ठ।
7- सचिव, वित्त (वेतन-आयोग) अनुभाग-2 को उनके अर्द्धशासकीय पत्र संख्या - वे0आ0-2-486/दस-2018, दिनांक 27 जुलाई, 2018 के सन्दर्भ में मा0 मंत्रि-परिषद के निर्णय/आदेश के अनुपालन में अपेक्षानुसार की गयी कार्यवाही के संबंध में।
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कृष्ण कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।